जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 29 संख्याः 134 प्रभात अजमेर, शुक्रवार 13 दिसम्बर, 2024 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित को उतारेगी कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में

संदीप की मां शीला दीक्षित, पन्द्रह साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थीं, पर उन्हें हराकर केजरीवाल ने धमाका किया था, तथा आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। दिल्ली विधानसभा के चुनावों में नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करेंगे।

संदीप दीक्षित दिल्ली पर 15 साल राज करने वाली शीला दीक्षित के पुत्र हैं। शीला दीक्षित को ही हरा कर अरविन्द केजरीवाल भारी बहुमत से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे।

चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं है इसलिए कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस का एक बड़ा तबका भी ऐसा ही चाहता है।

गुरुवार को हुई कांग्रेस की सैंट्रल इलैक्शन कमेटी बैठक में कांग्रेस ने 21 सीटों पर टिकट फाइनल कर दिए, शेष पर विचार चल रहा है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव बदली से चुनाव लड़ेंगे।

- जैसा कि विदित ही है आगामी विधानसभा चुनाव में, आप व कांग्रेस में कोई चुनावी गठबंधन या चुनावी समझौता नहीं है, और दोनों पार्टियां आमने-सामने चुनाव लड़ेंगी।
- कांग्रेस की केन्द्रीय चुनाव समिति ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए इक्कीस उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल भी कर दी है।
- दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष देवेन्द्र यादव बदली से चुनाव लड़ेंगे। देवेन्द्र यादव पंजाब के प्रभारी भी हैं।
- अब सवाल यह है कि क्या इन तीनों भूमिकाओं के साथ देवेन्द्र यादव न्याय कर पाएंगे?
- पर, क्या, पार्टी नई नियुक्तियां कर संगठन व पार्टी के रिक्त पद भरने की हिम्मत जुटा पायेगी?

इससे यह सवाल पूछा जा रहा है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी को कौन देखेगा। रोचक बात यह है कि पी. सी. सी. प्रमुख पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी भी हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सिंधिया से माफी मांगी कल्याण बनर्जी ने

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपनी टिप्पणी के लिए और दोनों नेताओं के विवाद के कारण लोकसभा स्थगित होने के लिए सदन से भी माफी मांगी।

गुरुवार को सदन की शुरूआत के साथ ही कुछ भाजपा सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया तो स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि बनर्जी ने लिखित में माफी मांगी है।

- बुधवार को संसद में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद कल सदन स्थगित हो गया था। इसके बाद बनर्जी ने लिखित में माफी मांगी।

बिड़ला ने कहा कि बुधवार को सदन में जो कछ भी हुआ वह दुर्भाग्य पूर्ण था किसी भी सदस्य को दूसरे पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

स्पीकर ने कहा कि मतभेद या सहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग है

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

किसी भी तरह के सर्वे, धार्मिक स्थान के "कैरैक्टर" (व्यक्तित्व) को चुनौती देने वाले नये मुकदमें दर्ज नहीं होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि जब तक वह 1991 एक्ट की वैधता के बारे में अपना निर्णय नहीं सुनाता, इस मसले पर कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरूवार को पूरे देश ट्रायल अदालतों को निर्देश दिये कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रॉविज़न्स) एक्ट, 1991 के तहत, मौजूदा ढ़ाचों के विवादास्पद धार्मिक चरित्र से सम्बन्धित केसों में सर्वे तथा प्रभावी आदेश पर रोक लगा दे।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति पी.वी. संजयकुमार तथा के.वी. विश्वनाथन की बैंच ने कहा कि अधिनियम इस प्रकार के मुकदमों तथा कार्यवाहियों का साफतौर पर निषेध करता है।

शीर्ष अदालत ने जोर देते हुये कहा कि जब तक 1991 के अधिनियम की वैधता तय नहीं हो जाती, कोई भी नया केस दायर नहीं हो सकता और न विचाराधीन केसों में अन्तिम आदेश ही दिये जा सकते हैं। बैंच ने आदेश दिया, "चूँकि यह प्रकरण इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है, हम यह निर्णय देना उचित समझते हैं कि कोई नया केस दर्ज नहीं होगा तथा किसी भी कार्यवाही के आदेश नहीं दिये जायेंगे। विचाराधीन प्रकरणों में अदालतें कोई भी प्रभावी या अन्तिम आदेश पारित नहीं करेंगी।"

- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जब तक 1991 के एक्ट की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता, यह 1991 का एक्ट "सब जुडिस" है, इस मसले पर कोई नया मुकदमा रजिस्टर नहीं किया जा सकता और न ही कोई अधीनस्थ न्यायालय किसी भी प्रकार का निर्णय सुना सकता है।

न्यायिक क्षेत्राधिकार के सरोकारों को सम्बोधित करते हुये, बैंच ने कहा, "जब कोई मामला हमारे पास विचाराधीन है, क्या किसी अन्य अदालत के लिये उसका निरीक्षण परीक्षण करना न्यायोचित एवं उचित है?

1991 का अधिनियम सभी धार्मिक स्थलों की उसी स्थिति को यथावत बनाये रखने के लिये कहता है, जो 15 अगस्त,1947 को थी तथा उनके स्वरूप से सम्बन्धित विवादों पर विचार करने से अदालतों को रोकता है। यह अधिनियम कहता है कि राम जन्मभूमि स्थल, जिसे अधिनियम के प्रावधानों से विशेष रूप से बाहर रखा गया है, के अलावा, सभी विचाराधीन केस समाप्त कर दिये जाये।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 के अपने अयोध्या वाले फैसले में, पहले ही इस अधिनियम की पुष्टि कर दी थी। अदालत ने विवादित स्थल को रामलला को देते हुये, इस बात को दोहराया था कि इसी प्रकार के अन्य विवादों पर,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रदेश की बार एसोसिएशनों के चुनाव आज, मतगणना शनिवार को

जयपुर, 12 दिसम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और दी बार एसोसिएशन सहित, प्रदेश की करीब 230 बार एसोसिएशनों के वार्षिक चुनाव शुक्रवार को आयोजित किए जाएंगे, जिनमें हजारों वकील अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए चुनाव संचालन समितियों से सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली हैं।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव में 5,716 मतदाता मतदान करेंगे, जबकि दी बार एसोसिएशन,

- सुबह आठ से सायं 5 बजे तक मतदान होगा। निष्पक्ष चुनाव के लिए जगह-जगह सी.सी.टी.वी. कैमरे व स्क्रीन लगाई गई हैं।

जयपुर चुनाव में 4,880 मतदाता और दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में 1831 मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव संचालन समिति के मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश कर्नल ने बताया कि मतदान सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक किया जाएगा। पांच बजे तक जो भी वकील कतार में होंगे, उनको वोट डालने की अनुमति रहेगी। वहीं, उप चुनाव अधिकारी सारिका चौधरी ने बताया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आदर्श क्रेडिट सोसायटी मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी

जयपुर, 12 दिसंबर। ई.डी. मामलों की विशेष अदालत ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी मामले में मीनाक्षी मोदी, नेहा मोदी, ललिता राजपुरोहित और विनय के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। वहीं, अदालत ने प्रियंका मोदी के खिलाफ समन जारी कर मुम्बई पुलिस कमिश्नर को तामील कराने के लिए कहा है। ई.डी. ने अपने

- अदालत ने मीनाक्षी मोदी, नेहा मोदी, ललिता राजपुरोहित व विनय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तथा प्रियंका मोदी के खिलाफ सम्मन जारी किया।

शिकायत अभियोजन में इन्हें आरोपी बनाया था।

गौरतलब है कि ई.डी. ने अपनी जांच में 38 सौ करोड़ रुपए से अधिक के अनियमित लेनदेन का पता लगाया था। जांच में सामने आया था कि मुख्य आरोपी मुकेश मोदी ने अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों से मिलीभगत कर निवेशकों के खातों से पैसा निकाला और बाद में इंटर लिंक फर्जी लेनदेन के जरिए फर्जी लोन बांट दिए। मामले में ई.डी. करोडों रुपए की संपत्ति को भी अटैच

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'दे श बि क ने न हीं दें गे'

संसद में विरोध जताने के अनूठे तरीके निकाले विपक्षी सांसदों ने

-डॉ. सतीश मिश्रा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। आज अनेक विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग अपने हाथों में हिन्दी के अलग-अलग अक्षर लिखी हुई तख्तियाँ लिये हुये थे, जिन्हें मिलाकर पढ़ने से यह वाक्य बन रहा था-"देश बिकने नहीं देंगे"। विपक्षी सांसद अडानी मुद्दे की जाँच-पड़ताल के लिये संयुक्त संसदीय समिति की अपनी माँग को दोहराते हुये नारे लगा रहे थे।

अडानी मुद्दे को लेकर, कांग्रेस के नेतृत्व में असाधारण रूप से रोजाना चल रहे प्रदर्शनों की श्रंखला में, आज का प्रदर्शन एक नयी कड़ी था।

कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी, द्रमुक तथा वामपंथी दलों सहित, अन्य विपक्षी दलों के सदस्य संविधान सदन के सामने मकर द्वार की सीढ़ियों पर खड़े थे। अधिकांश सांसद हाथों में तख्तियाँ लिये हुये थे, जिन्हें एक साथ पढ़ने पर "देश बिकने नहीं देंगे" नारा बन रहा था।

ये लोग मोदी तथा अडानी के बीच कथित मिली भगत के खिलाफ नारे लगा रहे थे तथा इस मामले में जॉइन्ट पार्लियामेन्ट्री कमेटी (जे.पी.सी.) जाँच की माँग कर रहे थे।

- आज विपक्षी सांसद संसद परिसर में हिन्दी के अलग-अलग अक्षर लिखी हुई तख्तियां लिए हुए नज़र आए, इन पर लिखे शब्दों को एक साथ पढ़ने पर पता चला कि यह वाक्य है "देश बिकने नहीं देंगे।"
- अडानी के खिलाफ जांच की मांग करते हुए विपक्षी सांसदों ने बुधवार को भाजपा सांसदों का अभिवादन किया तथा उन्हें तिरंगे का कार्ड और गुलाब का फूल दिया। जब रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में प्रवेश किया तो राहुल ने खुद उन्हें गुलाब और तिरंगा दिया।
- इससे पहले मंगलवार को विपक्षी सांसद गहरा नीला "झोला" लेकर आए जिसके एक तरफ मोदी अडानी के रेखाचित्र बने थे व दूसरी ओर लिखा था, मोदी-अडानी भाई-भाई।

बुधवार को, बहुत से विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में भाजपा सांसदों का अभिवादन किया और उन्हे तिरंगा बना हुआ कार्ड तथा गुलाब का फूल दिया। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि अडानी प्रकरण सहित, सभी मुद्दों पर चर्चा हो तथा संसद की कार्यवाही चले।

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जब वे संसद के मुख्य भवन में प्रवेश कर रहे थे, को कार्ड के रूप में तिरंगा भेंट किया।

मंगलवार के दिन, विपक्षी सांसद गहरे नीले रंग का "झोला" लिये हुये थे, जिस पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा उद्योगपति गौतम अडानी के व्यंग्य-चित्र बने हुये थे तथा दूसरी तरफ "मोदी-अडानी भाई-भाई" लिखा हुआ था।

सोमवार को, इंडिया ब्लॉक के कुछ नेताओं ने अडानी विवाद पर पार्लियामेन्ट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था। इसी के साथ, इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक मॉक "इन्टरव्यू" आयोजित किया था। इस दौरान, कांग्रेस सदस्य मोदी और अडानी के मास्क पहने हुये थे।

पार्लियामेन्ट परिसर में, अडानी के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन शीतकालीन सत्र के आरम्भ से ही चल रहा है।

अमेरिकन अदालत में अडानी तथा कम्पनी के अन्य अधिकारियों के अभियोग के बाद, कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दल जे.पी.सी. जाँच की माँग करते आ रहे हैं।

कांग्रेस ने कहा है कि अमेरिका की अदालत द्वारा अडानी पर लगाया गया अभियोग विभिन्न "घोटालों", जिनमें यह अरबपति व्यवसायी लिप्त है, की जे.पी.सी. जाँच की उसकी (कांग्रेस) की माँग को उचित ठहराता है।

राहुल गांधी ने अडानी की तत्काल गिरफ्तारी की माँग की है। अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को "निराधार" बताते हुये, खारिज कर दिया है।

'भारत में प्रदूषण से 2009-2019 में 15 लाख मौतें हुईं'

यह दावा करते हुए लैन्सैट प्लैनेटरी हैल्थ जर्नल ने चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत की

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। लैन्सैट प्लैनेटरी हैल्थ जर्नल ने एक भयावह परिदृश्य के बारे में बताया है : भारत में 2009 से 2019 के बीच, हर वर्ष, लंबे समय तक, पी.एम. 2.5 पोल्यूशन के संपर्क में रहने के कारण, लगभग 15 लाख लोग मर चुके हैं।

शोधकर्ताओं, जिनमें अशोका युनिवर्सिटी एवं नई दिल्ली स्थित सैंटर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एस.आई. भर्ती पेपर लीक मामले में सोलह आरोपियों को जमानत, एक को राहत नहीं

अदालत ने आरोपियों को एक लाख रुपये के बॉण्ड और 50 हजार रुपये की दो गारंटियों पर जमानत दी है

जयपुर, 12 दिसंबर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में 17 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। वहीं अदालत ने भर्ती में नकल कराने के आरोपी सुरेश साहू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। इस मामले में अभी तक एस.ओ.जी. ने कुल 87 आरोपियों को हिरासत में लिया था, जिसमें से 57 स्वयं को एस.आई.अभ्यर्थी या छात्र बता रहे हैं। इनमें से 10 को 22 नवम्बर को जमानत मिल गई थी और आज अदालत के आदेश के बाद अब तक 26 अभ्यर्थियों को पेपर लीक और नकल बताया जा रहा है कि बचे हुए 31 छात्रों का मामला इसी कैंडिडेट का है।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि उनके मुवक्किल पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा पेपर प्राप्त करने के बाद वॉट्सऐप पर हल करके उन्हें बता दिया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि एस.ओ.जी. के आरोप के अनुसार परीक्षा शुरु होने से डेढ़ घंटे पहले ही उनको पेपर समझा देना गैर बाजिब है और इस संदर्भ में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया गया है। याचिकाकर्ताओ का कहना था कि उनके सह अभियुक्त करण पाल गोदारा, एकता, मनोहरलाल, सुरेन्द्र कुमार, प्रेम सुखी, अभिषेक विश्नाई, राजेश्वरी, नीरज कुमार और प्रवीण कुमार को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनुराग शर्मा ने बताया कि आरोपी विवेक भांबू पहले ही स्वत: ही जानकारी दे चुका है कि उसका भाई पंकज ने उसे बताया था कि वह उसे परीक्षा के पहले मोबाईल फोन देगा और परीक्षा शुरू होने से पहले फोन पर पेपर सॉल्व करके देगा। उन्होंने कहा कि आरोपी से मोबाईल फोन व कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिन्हें एफएसएल को भेजा गया है।

- आज अदालत के आदेश के बाद अब तक 26 अभ्यर्थियों को पेपर लीक और नकल व चीटिंग के मामले में जमानत मिल चुकी है।

उन्होंने बताया कि एक अभियुक्त श्रवण कुमार विश्नोई के पास एक स्लिप भी प्राप्त हुई है जिसमें पेपर खरीदने के लिये 20 लाख रुपये देने की बात की है जिसमें से 10 लाख रुपये जगदीश विश्नोई को उसके फार्म हाउस पर देने की बात लिखी गई है। अनुराग शर्मा ने अदालत को बताया कि एफएसएल रिपोर्ट में यह सिद्ध हुआ है कि लिखावट आरोपी का ही था।

अन्य आरोपियों ने भी पूछताछ के दौरान नकल और पेपर खरीदने की बात मानी थी, और उनसे बरामद दस्तावेजों की जांच में यह बात साबित हो गई है कि इन पर आरोपियों की ही लिखावट है।

अदालत ने कहा कि मामले की पत्रावली को देखने से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं का मामला भी उन अन्य सह आरोपियों के समान है, जिन्हें पूर्व में जमानत मिल चुकी है। इसलिए याचिकाकर्ताओं को भी जमानत दिया जाना उचित होगा। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता माधव मित्र व एसआर बाजवा ने कहा कि आरोपी लंबे समय से जेल में हैं। मामले में चालान पेश हो चुका है और अन्य कोई अनुसंधान नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।

अदालत ने तथ्यों को सुनने के बाद आरोपी विवेक भांबू, श्रवण कुमार विश्नोई, रेणु कुमारी, नरेश कुमार, अजय विश्नोई, नानगी कुमारी, दिनेश कुमार, सुरेन्द्र कुमार बगड़िया, दिनेश विश्नोई, मालाराम, सुभाष विश्नाई, प्रियंका कुमारी, राकेश, मंजू देवी, सुरजीत सिंह यादव और गोपीराम जांगू को एक लाख रुपये के बांड और 50 हजार रुपये की दो गारंटियां जिस पर निचली अदालत संतुष्ट हो, पर जमानत दे दी है।